कब्जा सूचना- (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम-8(1)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि. (आईआईएफएलएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज के लिये आईआईएफएल एचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

''ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज एंव खर्चे के साथ ''आईआईएफएल एचएफएल'' के बकाये का भुगतान कर देते हैं तो ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं की जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा कोई कदम नहीं उठाई जाएगी।

ऋणधारकों का नाम आगरा शाखा	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण)	कुल बकाया देयता (रु.)	मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना तिथि
श्री तिलक सिंह तथा श्रीमती विजय रानी (**प्रॉस्पेक्ट नं. 795988 एवं 862501**)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: प्लॉट नं. 35, 36 तथा 34, एरिया माप 31.70 वर्ग मी., धर्म एन्क्लेव, मौजा-कहरई, शम्शाबाद रोड, ताज गंज वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001, भारत	**प्रॉस्पेक्ट नं. 862501, रु. 4,92,000/-** (रु. चार लाख बानबे हजार मात्र) **प्रॉस्पेक्ट नं. 795988, रु. 9,39,859/-** (रु. नौ लाख उन्तालिस हजार आठ सौ उन्सठ मात्र)	14 जुलाई, 2022	24 सित.22
श्री पवन कुमार तथा श्रीमती द्रौपदी (**प्रॉस्पेक्ट नं. 904475**)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 16, माप 600 वर्ग फीट, खसरा नं. 18 ए तथा बी पर गीताकुंज मौजा तौरा, आगरा, 282001, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित	रु. 7,83,138/- (रु. सात लाख तिड़ासी हजार एक सौ अड़तीस मात्र)	11 नव. 2021	24 सित.22

अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालयः** यूनिट नं. 309, तीसरा तल, पद्म बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. आईएनएस-1, सेक्टर-12 ए, आवास विकास, सिकन्दरा योजना, आगरा-282007 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

स्थानः आगरा,
तिथिः 28.9.2022

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

परिसम्पत्तियों की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालय : 27 वीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई महाराष्ट्र, पिन कोड-400031
शाखा कार्यालय : मध्य मार्ग, 2रा तल, एससीओ 153-154, 155, सेक्टर-9सी, चंडीगढ़-160009

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित नियम 8(5) के अंतर्गत वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सिटी फाइनांसियल कंज्यूमर फाइनांस इंडिया लिमिटेड (सीसीएफआईएल) द्वारा उसके पक्ष में ऋण के एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में 20.05.2022 को कोटेक महिन्द्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की, श्री कमलेश विश्वास एवं श्रीमती दीप्ति कमलेश विश्वास से-कोटक महिन्द्रा बैंक लि-प्रतिभूत क्रेडीटर के बकायें ऋण खाता सं. 12238212 एवं 12170606 के अंतर्गत उसकी वसूली तक 22.09.2022 से आगे के लागू-ब्याज के साथ **21.09.2022 को रु. 21,47,180/- (रु. इक्कीस लाख सैंतालिस हजार एक सौ अस्सी मात्र) की वसूली के लिये प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 4.11.2022 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. तक "जैसा है जहाँ है" तथा-''जो भी जैसा है" "जो कुछ भी वहाँ है आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु.16,00,000/-(रु सोलह लाख मात्र)** तथा धरोहर राशि रु.1,60,000 (रु. एक लाख साठ हजार मात्र)केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 03.11.2022 के 6.00 बजे अप. (आईएसटी)है।

सम्पत्ति का विवरणः जगाध्रि तहसील जगाध्रि, जिला यमुना नगर डाक का पता : 414, रूपनगर, सी-7, जगाध्रि-135003 की नगर पालिका सीमाओं के भीतर रूप अंगार कॉलोनी जगाध्रि में स्थित खसरा नं. 96//36में म्यूनिसिपल यूनिट नं. सी-VII/414ए माप, 110 वर्ग यार्ड्स में अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

ऋषधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक यह ध्यान रखें कि यदि किसी भी कारण से निर्धारित नीलामी विफल होती है तो प्रतिभूत क्रेडीटर निजी संधिद्वारा बिक्री द्वारा प्रतिभूति हित प्रवर्तित करेंगे। बिक्री के अधीन परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी स्पष्टीकरण।

अपेक्षा के लिये बोलीदाता श्री अक्षित सोलंकी (+91-6394015464), श्री रविन्दर गोदरा (+91-9983999074), श्री नीरज कुमार (+9-9716686150) एवं श्री राजेन्दर दहिया (+91-844264515) से सम्पर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं 'शर्तों के लिये कृपया लिंक www.kotak.com/en/bank-auctions. html, कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाईट अर्थात www. kotak.com में दी गई तथा https://bankauctions.in देखें।

स्थानः यमुना नगर
तिथिः 28.9.2022

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

नोएडा- सेक्टर 63 शाखा कार्यालय : पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एच-1ए/10, पहली मंजिल, सेक्टर-63, नोएडा-201301

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय III की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों/सह-कर्जदार/गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों/ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यों) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	**HOU/NOIB/0818/562492 / नोएडा सेक्टर 63**	श्री आलोक कुमार भार्गव के सभी कानूनी वारिस एवं सुश्री मुन्नी देवी (सह आवेदक) पता :- बी-1304, ऑर्चिड सुबुरिया, लिंक रोड दहनुकर वाडी, मुंबई, महाराष्ट्र-400067, पता :- मकान संख्या -220, बेरी रोड, कुरारा हमीरपुर उ0प्र0-210505	**NA**	1702,17, टावर एफ-5, पंचशील ग्रीन, जीएच -01-ए, सेक्टर 16-बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत-201301	07.09.2022	07-09-2022 तक रु. 39,53,484.16 (रुपये उनतालीस लाख तिरपन हजार चार सौ चौरासी एवं सोलह पैसे मात्र)

स्थान : लखनऊ, दिनांकित : 27-09-2022

प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

3427
14/7/22

Form No. 3
[See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH (DRT2)

First Floor, SCO 33-34-35, Sector-17 A, Chandigarh
(Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/1568/2021

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No. 11835

IDBI BANK vs **SANTOSH DEVI**

To, (1) Santosh Devi D/W/S/O- Sh. Jagdish Chander Jorar, Smt. Santosh Devi Wife of Shri Jagdish Chander Jorar (Kalwana Road Dhani), Kukna Dhani, Village Nathore, Tehsil Rania District Sirsa, Haryana.125075, Sirsa, Haryana

SUMMONS

WHEREAS, **OA/1568/2021** was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **21.07.2022.** WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of **Rs.2559002.65** (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- **(i)** to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; **(iii)** you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; **(iv)** you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; **(v)** you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on **18.10.2022** at **10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: **17.08.2022.**

Registrar,
Seal **Debts Recovery Tribunal, Chandigarh**

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण,
17, संसद मार्ग, 2रा तल
इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001

कॉर्पोरेट कार्यालयः 254-260, अव्वई शनमुगम सलाई, रोयापेट्टाह चेन्नई-600014

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा इंडियन बैंक, प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री इंडियन ओवरसीज बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये 14.10.2022 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर की जाएगी। ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं. 1 में वर्णित सम्पत्ति के लिये

ऋणधारक का नामः मै. लाइफ लाइन ट्रैवल्स, प्रॉप. श्री सत्यवीर सिंह	
गारंटर का नामः श्री कमाल सिंह	**मार्टगैजर का नामः** श्रीमती कृष्णा देवी
शाखाः द्वारका, सैक-6, दिल्ली	**कुल बकायाः** 01.09.2022 को रु. 317.05 लाख

बिक्री के लिये प्रस्तुत की जाने वाली सम्पत्ति जिसकी बिक्री ई-नीलामी द्वारा की जाएगी, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं. 1

सम्पत्ति का विस्तृत विवरणः खसरा नं. 35/6, ध्रमपुरा, नजफगढ़, दिल्ली-110075, एरिया 350 वर्ग यार्ड्स में शामिल सम्पत्ति सं. 1बी का सभी भाग तथा हिस्सा।

कब्जा का प्रकारः भौतिक कब्जा	**सम्पत्ति पर अधिभारः** बैंक को ज्ञात नहीं
आरक्षित मूल्यः रु. 130.00 लाख	**ईएमडी राशिः** रु. 13.00 लाख
बोली वृद्धि राशिः रु. 0.25 लाख	**ई-नीलामी की तिथि एवं समयः** 14.10.2022; 11.00 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.
सम्पत्ति आईडी नं.: IDIB10444685075ए	

संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी के हेल्पडेस्क नं. 033-23400020/23400021/23400022 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया **ibapiop@mstcecommerce.com** पर तथा ईएमडी स्थिति के लिए कृपया **ibapifin@mstcecommerce.com** पर सम्पर्क करें।

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://ibapi.in** तथा इस पोर्टल से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर '18001025026' तथा '011-41106131' पर सम्पर्क करें।

संविदाकारों को वेबसाइट **https://ibapi.in** तथा www.mstcecommerce.com में सम्पत्ति की खोज करने का परामर्श दिया जाता है।

तिथि : 27.09.2022, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank | कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

देहरादून कनॉट प्लेस शाखा, देहरादून, उत्तराखंड-248001
ईमेल आईडी- ubin0907367@unionbankofindia.bank

कब्जे की सूचना

{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का नियम 8(1)}
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देहरादून, कनॉट प्लेस शाखा, उत्तराखंड का प्राधिकृत अधिकारी है ने निम्नांकित डिमाण्ड नोटिस दिनांक 07.04.2021 को जारी किया जिसमें उधार लेने वाले निम्न ऋणी/जमानती को नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान मांग नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। उधार लेने वाले ऋणी/जमानती द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल हो जाने पर, उधार लेने वाले को जमानती को और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कथित अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त कथित नियम 8 के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

उधारकर्ता, जमानती एवं आम जनता को एतद्द्वारा विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किये गये कोई भी व्यवहार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, को देय राशि (जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है) और उस पर ब्याज के अध्यधीन भार (Charge) होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋणी/जमानती का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	देयताएं (रूपये)
उधारकर्ता 1. मैसर्स 89 आईटी वर्ल्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, मकान नं0 9, ग्राम मोहनपुर, प्रेमनगर, देहरादून (उधारकर्ता) 2. श्री मनोज कुमार राठौर पुत्र किशन कुमार राठौर (पार्टनर और गारंटर), मकान न0 9, ग्राम मोहनपुर, प्रेमनगर, देहरादून, 3. श्री राजेंद्र सिंह रावत पुत्र जगत सिंह रावत (पार्टनर और गारंटर), मकान नं0 42 ग्राम केहरी प्रेमनगर, देहरादून	07 अप्रैल 2021	26 सितंबर 2022	वह सभी भाग और आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 188. 12 वर्ग मीटर या 2025 वर्ग फीट, खाता खतौनी नं 523 (फसली वर्ष 1399 से 1404) खसरा नं 287/2 मिन, मकान नं. 9, ग्राम मोहनपुर, मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना पछवादून, प्रेमनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड जोकि श्री मनोज कुमार राठौर पुत्र किशन कुमार राठौर से संबंधित है, और सीमा- उत्तर- मार्ग, पूर्व- संपत्ति श्री महेंद्र सिंह, दक्षिण- श्री किशन कुमार की भूमि, पश्चिम- संपत्ति श्रीमती संपत देवी।	रू0 16,07,281.18 (सोलह लाख सात हजार दो सौ इक्यासी और पैसे अठारह रुपये) दिनांक 31.03.2021 को और उस पर ब्याज और शुल्क।

स्थानःदेहरादून
दिनांक : 26.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देहरादून

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)
CIN: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031.
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022.

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक/सह-ऋणधारकों तथा गारंटरों को उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ मांग सूचना की तिथि से भुगतान/उगाही की तिथि तक आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेस वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ती का कब्जा कर लिया है।

ऋण खाता संख्या	ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों एवं गारंटरों का नाम	गिरवी रखी गई सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना		ली गई कब्जा का प्रकार एवं तिथि
			तिथि	बकाया राशि (रु.)	
18124788	1. उपेन्द्र कुमार 2. उमेश श्याम सिंह	ग्राम अहमद नगर, नवादा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. के क्षेत्र में आवासीय कालोनी लाल बाग में स्थित खसरा नं. 37 में दूसरे तल पर सम्पत्ति, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति सं. 67-ए, एरिया माप 90 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 75.24 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दीः पूर्वः 40 फीट रोड, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा सर्विस लेन, उत्तरः शेष भाग, दक्षिणः प्लॉट नं. 66ए	08.07.2022	रु. 2253532.44/	23.09.2022 सांकेतिक कब्जा
30228176	1. कुन्दन प्रमोद सिंह	खसरा नं. 380 एवं 371, ग्राम भोआपुर, राज नगर, एक्स्टेंशन, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित परियोजना नाम ''क्लासिक होम्ज'' में फ्लैट नं. सी-1009, 10वां तल, टावर-सी, माप 1135 वर्ग फीट (सुपर एरिया) का सभी भाग तथा हिस्सा।	08.07.2022	रु. 1842186.28/	23.09.2022 सांकेतिक कब्जा
9227109	1. वेद पाल चौधरी 2. संतोष देवी	राम विहार कॉलोनी, ग्राम बंथला, परगणा-लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित आवासीय प्लॉट नं. सी-1-8, माप 90 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 75.25 वर्ग मी. खसरा नं. 215 का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दीः पूर्वः 10 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 40 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अन्य स्वामी का प्लॉट, दक्षिणः अन्य स्वामी का प्लॉट।	16.07.2022	रु. 641544.72/-	23.09.2022 सांकेतिक कब्जा
13296810 12955830	1. मुनेश दुर्गाकुमार प्रसाद 2. ऊषा केडिया	प्लॉट नं. 13, खाता नं. 1812, खसरा नं. 73, माप 450 वर्ग फीट अर्थात् 41.805 वर्ग मी., बौध विहार कॉलोनी, ग्राम-अकबरपुर बहरामपुर, परगणा-लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में निर्मित छत के अधिकार के बिना फ्लैट नं. यूजीएफ-06, ऊपरी भूतल का सभी भाग तथा हिस्साः चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 14, पश्चिमः पूर्व में श्री सुनील यादव, वर्तमान में श्री खुर्शीद अहमद असमानी की सम्पत्ति, उत्तरः 25 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः 10 फीट चौडा रास्ता	24.06.2022	रु. 1119616.95/	22.09.2022 सांकेतिक कब्जा

विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सर्तक किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना में वर्णित राशि के साथ मांग सूचना तिथि से भुगतान/उगाही की तिथि तक आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेस के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के चार्ज के अधीन होगा।

दिनांकः 22 एवं 23.09.2022
स्थानः गाजियाबाद

प्राधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में समामेलित)

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

अंचल सस्त्रा केन्द्र : लखनऊ
10, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 ईमेल-**zs8351@pnb.co.in**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो"** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। **ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब)बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि (धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि) स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण
	धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. **6193002500000024** आईएफएस कोड (**IFS code)-PUNB0619300)** **नोडल अधिकारी - श्री कुमार राकेश चन्द्रा, मुख्य प्रबन्धक, अंचल सस्त्रा केन्द्र (लखनऊ), मो. 8826895170**					
1	**शाखा :लखनऊ गोमती नगर, (068710)** **उधारकर्ता- मैसर्स डीवीएस कॉन्ट्रेक्टर प्रा. लि.,** पता फ्लैट नंबर 214, द्वितीय तल, हलवासिया आम्रपाली ग्रीन अपार्टमेंट, वृंदावन योजना, सेक्टर-2बी, लखनऊ- 226014, **निदेशक/ जमानतकर्ता/ बंधककर्ता-** 1. श्री राजेश सिंह, निवासी (1). 2, खिजिरपुर, करौंदी, हरचन्दपुर, रायबरेली-229001, (2). 1-अ, क्रांतिपुरी, जेल गार्डन रोड, रायबरेली -229001, 2. श्रीमती अनीता सिंह दोनों निवासी 1-अ, क्रांतिपुरी, जेल गार्डन रोड, रायबरेली -229001, 3. श्री शिव कुमार सिंह निवासी बी-207 क इंदिरा नगर, रायबरेली-229001	अचल संपत्तिः आवासीय मकान नं. 1 अ, (तिकोना प्लाट), क्रान्तिपुरी, अहमदपुर नजूल, जेल रोड, तहसील सदर जिला रायबरेली, उ.प्र. जोकि श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री राजेश सिंह भदौरिया के नाम है। विलेख नं. 6392 दिनांक 25.11. 2003 के अनुसार प्लाट क्षे. 226 वर्गमी **चौहददी (विलेख के अनुसार)**-पूर्व-25फीट चौड़ी रोड, पश्चिम-जेल गार्डन एवं ऐशबाग माइनर ज्वाइंट स्थान, उत्तर-ऐशबाग माइनर, दक्षिण -जेल गार्डन, । **चौहददी (मूल्यांकन के अनुसार)**-दक्षिण पूर्व-25फीट चौड़ी रोड जेल गार्डन की चारदीवारी तक, दक्षिण पश्चिम-जेल गार्डन की चारदीवारी, उत्तर पश्चिम-जेल गार्डन एवं ऐशबाग माइनर संधि स्थल, उत्तर पूर्व- सम्पत्ति मालिक/ अन्य की सम्पत्ति।	अ) 01.06.2016 ब)दिनांक 01.06.2016 को रू. 147605494.52 + ब्याज एवं अन्य खर्चे अब तक स)23.09.2022 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 52.89 लाख (रूपये बावन लाख नवासी हजार मात्र) ब)रू. 5.29 लाख (रूपये पांच लाख उनतीस हजार मात्र) (28.10.2022) स)रू. 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र)	29.10.2022 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	नही

नियम एवं शर्तें- बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो" के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया 1) **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com** में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 27.09.2022, स्थान लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

विजया VIJAYA | देना DENA

डी) खातों के रखरखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ई) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है. हमारी रिपोर्ट में यथा 31 मार्च, 2022 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त किया गया है.

कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स **सनदी लेखाकार** **एफआरएन: 114207W** हस्ता/- (नीरज गोलस) **साझेदार** **एम नं.: 074392** **यूडीआईएन: 22074392AKACFQ5377**	**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:000112N** हस्ता/- (अशोक कुमार जैन) **साझेदार** **एम नं.: 090563** **यूडीआईएन: 22090563AKACXA9321**	**कृते व्यास एंड व्यास** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:000590C** हस्ता/- (ओ. पी. व्यास) **साझेदार** **एम नं.: 014081** **यूडीआईएन: 22014081AKACXO8312**
दिनांक: 31 मई, 2022 **स्थान: मुंबई**	**कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन: 009096C** हस्ता/- (मनोज राठी) **साझेदार** **एम नं.: 411460** **यूडीआईएन: 22411460AKAFAU9548**	**कृते जे काला एंड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन: 118769W** हस्ता/- (जयेश काला) **साझेदार** **एम नं.: 101686** **यूडीआईएन: 22101686AKAFOC7906**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैराग्राफ 12 ई मे संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पत्र सं डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) (''आरबीआई का पत्र'') के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट.

हमने **बैंक ऑफ बड़ौदा** (बैंक) के दिनांक 31 मार्च, 2022 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है जो कि वर्ष की समाप्ति के लिए उस तारीख को बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के अनुक्रम में है, जिनमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल हैं.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडोंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है. हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जोकि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो.

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण इसमें भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है. साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गंभीरता कमजोर हो सकती है.

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार परउ प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं.

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट में 2814 शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों को शामिल करते हुए) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है.

कृते आर देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स **सनदी लेखाकार** **एफआरएन: 114207W** हस्ता/- (नीरज गोलस) **साझेदार** **एम नं.: 074392** **यूडीआईएन: 22074392AKACFQ5377**	**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:000112N** हस्ता/- (अशोक कुमार जैन) **साझेदार** **एम नं.: 090563** **यूडीआईएन: 22090563AKACXA9321**	**कृते व्यास एंड व्यास** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:000590C** हस्ता/- (ओ. पी. व्यास) **साझेदार** **एम नं.: 014081** **यूडीआईएन: 22014081AKACXO8312**
दिनांक: 31 मई, 2022 **स्थान: मुंबई**	**कृते दस्साणी एंड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन: 009096C** हस्ता/- (मनोज राठी) **साझेदार** **एम नं.: 411460** **यूडीआईएन: 22411460AKAFAU9548**	**कृते जे काला एंड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन: 118769W** हस्ता/- (जयेश काला) **साझेदार** **एम नं.: 101686** **यूडीआईएन: 22101686AKAFOC7906**